

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पविार कल्याण सेवायें, राज0जयपुर  
क्रमांक: ई-12/एम/325सीसी/2018/ दिनांक:-

समस्त संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
जोन, राजस्थान ।

समस्त चिकित्सा अधीक्षक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
राजस्थान ।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान ।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान ।

विषय:- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 सपटित धारा 34 में पारित अवार्ड की पालना के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 सपटित धारा 34 में पारित अवार्ड की पालना के संबंध में श्रीमान् मुख्य सचिव, राज0 सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक: F.19(1)prosecution/meeting/Lab/15 jaipur 19-9-2018 की प्रति संलग्न भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश में दिये निर्देशों के अनुसार पारित अवार्डों की पालना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

SA

अति0 निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर ।

क्रमांक: ई-12/एम/325सीसी/2018/ 369

दिनांक:- 28.11.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को उनकी आई.डी.संख्या 1491 दिनांक 5.11.2018 के संदर्भ में प्रेषित है ।
- 2- प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर निर्देश है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें ।

अति0 निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर ।